संख्या–सा–3–72 / दस–2009–300 / 99

प्रेषक,

बी0एन0 दीक्षित,
सचिव, वित्त।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 02 मार्च, 2009

विषय :– **शासनादेश संख्या–सा–3–384 / दस–300 / 99, दिनॉक 13 अप्रैल, 2000 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद के वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

शासनादेश संख्या–सा–3–384 / दस–300 / 99, दिनॉक 13 अप्रैल, 2000 द्वारा यह निर्देश जारी किए गए थे कि :–

(1)– " दिनॉक 01–01–1986 से 31–12–95 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त / दिवंगत सरकारी कर्मचारियों जिनका अन्तिम आहरित वेतन 1500 रूपया से अधिक था के प्रकरण में कुटुम्ब पेंशन का दिनॉक 01–01–1996 से संशोधित किया जायेगा। पेंशन संशोधन भाग एक में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

(2)– दिनॉक 01–01–1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किए बिना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनॉक 01–01–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिए अर्ह सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध, उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनॉक 01–01–1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी / मृत कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के दिनॉक 01–01–1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी। पेंशन संशोधन भाग दो में दी गयी प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।"

उक्त शासनादेश के फलस्वरूप अन्तिम धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम के सापेक्ष पूर्ण पेंशन (33वर्ष की अर्हकारी सेवा पर) का लाभ उन राज्य कर्मियों को नहीं मिल सका था जिनको वैयक्तिक रूप से समयमान वेतनमान अथवा प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य हुआ है क्योंकि वैयक्तिक रूप से समयमान वेतनमान / प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त होने से अन्तिम धारित पद का वेतनमान परिवर्तित नहीं होता है।

2– इस संबंध में राज्य सरकार को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है कि वैयक्तिक रूप से प्राप्त समयमान वेतनमान / प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों में भी न्यूनतम पेंशन से संबंधित लाभ अनुमन्य कराया जाए।

3– अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश देते है कि शासनादेश संख्या–सा–3–384 / दस–300 / 99, दिनॉक 13 अप्रैल, 2000 के प्रस्तर–1(2) के अंश " **दिनॉक 01–01–1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किए बिना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनॉक 01–01–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी** " का अर्थ होगा कि " **सभी पेंशनभोगी की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर विचार किए बिना दिनॉक 01–01–1996 की स्थिति के अनुसार पेंशनभोगी के द्वारा अधिवर्षता / सेवानिवृत्ति के समय पर धारित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।**" शासनादेश संख्या–सा–3–384 / दस–300 / 99, दिनॉक 13 अप्रैल, 2000 में निहित अन्य उपबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

27/04/2009

(बी0एन0 दीक्षित)
सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–72(1) / दस–2009–300 / 99, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त विभागों के वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
3– सचिव, विधान सभा, विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान–24 / 3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।
8– उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
9– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हेमन्त कुमार सक्सेना)
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 142 सा वित्त–6–3–2009–(2258)–5,000 प्रतियाँ (क0 / टी0 / आ0)।